

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1/प्रा०आ०-0-3-23/2013-06/आ०प्र० दिनांक 15.05.2013, विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 24/आ०प्र० दिनांक 02.09.13, पत्रांक 32/आ०प्र० दिनांक 17.09.13 तथा संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 42/आ०प्र० दिनांक 25.10.13 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 101, उप शीर्ष - 0002 खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड एन० 2245021010002 मद में पटना जिला को क्रमशः 50.00 (पचास लाख), 70.00 (सत्तर लाख), 400.00 (चार करोड़) तथा 1323.62 (तेरह करोड़ तेईस लाख बासठ हजार) रुपये अर्थात् कुल 1843.62 (अठारह करोड़ तैतालीस लाख बासठ हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 671/आ०प्र० दिनांक 26.06.2013, ज्ञापांक 837/आ०प्र० दिनांक 03.08.13, ज्ञापांक 1125/आ०प्र० दिनांक 13.09.13, ज्ञापांक 1168/आ०प्र० दिनांक 23.09.13, ज्ञापांक 1227/आ०प्र० दिनांक 03.10.13 तथा ज्ञापांक 1378/आ०प्र० दिनांक 28.10.13 द्वारा बाढ़ प्रभावित अंचलों को उपावृत्त किया गया है।

पुनः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 82/आ०प्र० दिनांक 25.02.14 द्वारा उक्त मद में 1152600.00 (ग्यारह लाख बावन हजार छह सौ) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावृत्त करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2013-14 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39, विषय शीर्ष-21 03-आहार/पथ्य

(राशि :- रुपये में)

क्रमांक	उपावृत्त पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावृत्त	वर्तमान उपावृत्त	योग
01.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	11514958.50	0.00	11514958.50
02.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	25505500.50	0.00	25505500.50
03.	अंचल अधिकारी, फतुहॉ	21277212.00	0.00	21277212.00
04.	अंचल अधिकारी, पटना सदर	23637363.00	0.00	23637363.00
05.	अंचल अधिकारी, पुनपुन	0.00	0.00	0.00
06.	अंचल अधिकारी, दानापुर	41701650.00	1152600.00	42854250.00
07.	अंचल अधिकारी, मनेर	51941454.00	0.00	51941454.00
08.	अंचल अधिकारी, बाढ़	245871.00	0.00	245871.00
09.	अंचल अधिकारी, मोकामा	8405413.50	0.00	8405413.50
10.	अंचल अधिकारी, खुसरूपुर	132577.50	0.00	132577.50
कुल उपावृत्त राशि		184362000.00	1152600.00	185514600.00

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष - 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 101, उप शीर्ष - 0002 खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड एन०2245021010002 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- यह राशि सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 21371/2013 में दिनांक 19.12.13 को पारित आदेश के आलोक में बाढ़ 2011 के अवसर पर दानापुर अंचल अंतर्गत बाढ़ राहत से वंचित कुल 453

परिवारों के बीच अद्यतन विभागीय मानदर के अनुरूप मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु अंचल अधिकारी, दानापुर के पत्रांक 347 दिनांक 30.01.14 के आलोक में उपावंटित की जा रही है। प्रस्तुत आदेश की उपावंटित राशि में खाद्यान्न का मूल्य, हथालन एवं परिवहन व्यय आदि संगणित है।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन भारत सरकार के विहित प्रपत्र में एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। व्यय होनेवाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000- आकस्मिकता निधि" अंकित किया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/—

जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापांक IV-05/2013 276 / आ०प्र०, दिनांक 01/03/14

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,  
पटना।